

२-

19- रामसिया कोल तनय गुलाम कोल आयु 22 साल,

20- रामलाल कोलतनय गुलाम कोल आयु 27 साल,

21- धर्मेन्द्र कोलतनय सुखलालकोल आयु 22 साल,

22- मुन्नालालकोल तनय श्री पगला कोल, आयु 40 साल,

सभी का पेशा मजदूरी, सभी निवासी ग्राम रौसरा, पोले टेरा, ज़िला तहसील मउंगंज, ज़िला- रीवामण्डू

— अवैदक गण

23. ~~प्राप्ति दस्तावेज़~~

आदेश विरुद्ध निर्णय अपर क्लैक्टर रीवा के द्वारा दिनांक १३-८-१५ के विरुद्ध निर्णियत गया।

मार्यवर,

संग्रहालय विवरण

निर्णयात् अक्षयकुमार
SD न. ५४१

यहकि आवैदकग्राम रौसरा, तहसील मउंगंज, ज़िला -रीवा का निवासी है, आराजी नम्बर ११८/१ एवं ११८/२ रक्वा क्रमशः ०.६५ ए०, एवं रक्वा ०.८५ ए०, दोनो आराजी आवैदक की पैत्रिक आराजी है दोनो में आवैदक का कब्जा दखल वर्तमान समय तक चला आरहा है।

निगरानी के आधार निम्न है :-

1- यहकि दिनांक १३-८-१५ का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि आराजी नम्बर ११८/१ रक्वा ०.६५ ए०, ११८/२ रक्वा ०.८५ ए०, दोनो आवैदक की पैत्रिक आराजी है दोनो में आवैदक के पिता का कब्जादेह था एवं समय - समय पर उन्हारी व सियारोंको प्रस्तुत की


- 1- ~~दौरी आजमी~~ रास्ते का संग्रह
2- ~~दौरी आजमी~~
3- ~~दौरी आजमी~~ ~~स्थिर देश~~
4- ~~दौरी आजमी~~ ~~स्थिर देश~~

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-5023-II / 15

जिला—रीवा

मोहनलाल बाजपेयी/रामखेलावन कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस०एन०मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 43/बि-121./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	